UPPCS MAINS TEST - 10 (SOLUTION)

खंड-अ

Q 1. राष्ट्र निर्माण में साहित्य की भूमिका

“कवि संसार के अघोषित विधिवेत्ता होते हैं”

- पर्सी बिश शेली

कवियों को “अघोषित विधिवेत्ता” कहकर शेली का आशय यह नहीं है कि लेखक औपचारिक रूप से कानून बनाते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि कवि और साहित्यकार उन विचारों, मूल्यों, भावनाओं और नैतिक दृष्टिकोणों को गढ़ते हैं, जो बाद में कानूनों, संस्थाओं और राजनीतिक आंदोलनों का आधार बनते हैं—और यही तत्व राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य होते हैं। सभ्यताओं के इतिहास में साहित्य ने सांस्कृतिक विरासत को संजोया है, सामाजिक सुधार को प्रेरित किया है, राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत किया है और समाज को नैतिक व बौद्धिक दिशा प्रदान की है।

सामूहिक पहचान के संरक्षक के रूप में साहित्य

राष्ट्र निर्माण में साहित्य का एक प्रमुख योगदान सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और संप्रेषण है। महाकाव्य, लोककथाएँ, काव्य और शास्त्रीय ग्रंथ किसी राष्ट्र की सामूहिक स्मृति के भंडार होते हैं। भारत में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों ने सदियों से नैतिक मूल्यों, सामाजिक मान्यताओं और दार्शनिक दृष्टिकोण को आकार दिया है। ये रचनाएँ क्षेत्रीय और भाषायी सीमाओं से ऊपर उठकर विविधता में एक साझा सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करती हैं।

वैश्विक स्तर पर भी साहित्य ने इसी प्रकार की भूमिका निभाई है। होमर की इलियड और ओडिसी ने यूनानी पहचान को परिभाषित किया, जबकि दांते की डिवाइन कॉमेडी ने इतालवी भाषा और सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ किया। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतरता बनाए रखकर साहित्य उन सांस्कृतिक नींवों को मजबूत करता है, जिन पर राष्ट्रों का निर्माण होता है।

राष्ट्रीय चेतना और साहित्य

विशेषकर औपनिवेशिक शासन और दमन के काल में साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन साहित्य से गहराई से प्रभावित रहा। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का गीत “वंदे मातरम्” प्रतिरोध और देशभक्ति का प्रतीक बना। रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं और निबंधों ने स्वतंत्रता, गरिमा और सार्वभौमिक मानवतावाद पर आधारित राष्ट्रवाद की मानवीय दृष्टि प्रस्तुत की। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज—आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की आलोचना और स्वशासन (स्वराज) पर आधारित एक मौलिक कृति—ने भारतीय राष्ट्र-चिंतन को वैचारिक आधार दिया।

विश्व के अन्य भागों में भी साहित्य ने स्वतंत्रता और एकता के संघर्षों को प्रेरित किया। लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं ने रूसी सामाजिक चिंतन को प्रभावित किया, जबकि अफ्रीकी लेखक चिनुआ अचेबे जैसे साहित्यकारों ने उपनिवेशवादी आख्यानों से विकृत स्वदेशी पहचान को पुनः स्थापित किया। इस प्रकार साहित्य वह माध्यम बनता है जिसके द्वारा लोग स्वयं को एक साझा राष्ट्रीय नियति का अंग मानने लगते हैं।

सामाजिक सुधार का साधन

राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एकता ही नहीं, आत्ममंथन और सुधार भी आवश्यक हैं। साहित्य सामाजिक कुरीतियों पर प्रश्न उठाने और प्रगतिशील परिवर्तन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में प्रेमचंद जैसे सुधारवादी लेखकों ने गोदान और गबन जैसे उपन्यासों के माध्यम से जातिगत उत्पीड़न, गरीबी और लैंगिक असमानता को उजागर किया। कविता और नाटक रूढ़ियों की आलोचना और सामाजिक न्याय के संवाहक बने। दलित साहित्य—ओमप्रकाश वाल्मीकि की जूठन जैसी कृतियाँ—भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना को पुनर्परिभाषित करती हैं और यह मांग करती हैं कि राष्ट्र-निर्माण में वंचित वर्गों को भी सम्मिलित किया जाए।

वैश्विक स्तर पर हैरियट बीचर स्टो की अंकल टॉम्स केबिन ने अमेरिका में दासता की अमानवीयता को उजागर कर उन्मूलनवादी आंदोलन को बल दिया। हेनरिक इब्सन का नाटक **ए डॉल्स हाउस** पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती देता है और महिलाओं के अधिकारों पर व्यापक बहस को जन्म देता है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि साहित्य नैतिक और समावेशी प्रगति की दिशा में समाज को अग्रसर कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है।

आधुनिक राष्ट्र की नैतिक चेतना के रूप में साहित्य

समकालीन विश्व में भी साहित्य वैश्वीकरण, प्रवासन, पहचान-संकट और तकनीकी परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों से जूझते हुए राष्ट्र निर्माण को दिशा देता है। आधुनिक साहित्य आलोचनात्मक चिंतन और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करता है, जो लोकतंत्र में सक्रिय नागरिकता के लिए आवश्यक गुण हैं। ऐतिहासिक स्मृति को संजोकर साहित्य सामूहिक विस्मृति से भी बचाता है। मिलान कुंदेरा का कथन—“मनुष्य का सत्ता के विरुद्ध संघर्ष, स्मृति का विस्मृति के विरुद्ध संघर्ष है”—इस बात को रेखांकित करता है कि राष्ट्र की नैतिक शक्ति उसकी स्मरण-क्षमता में निहित होती है।

जॉर्ज ऑरवेल के शब्दों में, “झूठ के समय में सत्य कहना एक क्रांतिकारी कार्य है”—यह ईमानदार साहित्यिक अभिव्यक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। साहित्य केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक आधार स्तंभ है। जहाँ संविधान और संस्थाएँ राष्ट्र की संरचनात्मक रूपरेखा प्रदान करती हैं, वहीं साहित्य उसकी आत्मा का पोषण करता है। यह पहचान गढ़ता है, एकता को प्रेरित करता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखता है। तीव्र परिवर्तन और विखंडन के इस युग में, साहित्य की भूमिका आज भी राष्ट्रों को एकजुटता, सहानुभूति और प्रबुद्ध प्रगति की ओर मार्गदर्शन देने में अनिवार्य बनी हुई है।

Q 2. महिला सशक्तिकरण: विकसित भारत की आधारशिला

“लोगों को जाग्रत करने के लिए महिलाओं को जाग्रत करना आवश्यक है। जब वह आगे बढ़ती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है।"

- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू

हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के ये शब्द वर्ष 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान) की सफलता का उत्सव मनाती साड़ियों में सजी भारतीय महिला वैज्ञानिकों की तस्वीर में साकार होते दिखाई दिए—जिसने वैश्विक रूढ़ियों को तोड़ दिया। ऋतु करिधाल श्रीवास्तव (जिन्हें "भारत की रॉकेट वुमन" कहा जाता है) और नंदिनी हरिनाथ जैसी वैज्ञानिक केवल टीम की सदस्य नहीं थीं; वे उप-परियोजना निदेशक थीं, जिनके नेतृत्व में भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुँचने वाला विश्व का पहला देश बना।

हाल ही में चंद्रयान-3 की सफलता में भी 100 से अधिक महिला वैज्ञानिकों ने निर्णायक भूमिका निभाई। इस मिशन का नेतृत्व एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर **कल्पना कलाहस्ती** ने किया, जिनकी लैंडर प्रणालियों में विशेषज्ञता ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की। ये मिशन इस सच्चाई को रेखांकित करते हैं कि जब महिलाओं को शिक्षा, संस्थानों और निर्णय-निर्माण के समान अवसर मिलते हैं, तो वे केवल सहभागी नहीं रहतीं—वे राष्ट्रीय उपलब्धियों की शिल्पकार बनती हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: दमन से स्वाधीनता तक

भारत में महिलाओं के अधिकारों की यात्रा संघर्ष और दृढ़ता की गाथा रही है। वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियाँ बौद्धिक और आध्यात्मिक नेतृत्व में अग्रणी थीं। किंतु कालांतर में सती, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों ने महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित किया।

उन्नीसवीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों—राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में—ने आधुनिक सशक्तिकरण की नींव रखी। इसी काल की साहित्यिक कृतियाँ, जैसे रोकैया सखावत हुसैन की सुल्ताना का सपना (1905), विज्ञान और शांति से संचालित "लेडीलैंड" की कल्पना प्रस्तुत करती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने महिलाओं को राजनीतिक चेतना से जोड़ा—सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ़ अली जैसी नेताओं ने सिद्ध किया कि राष्ट्रीय स्वाधीनता का मार्ग लैंगिक समानता से होकर ही जाता है।

सशक्तिकरण का बहुआयामी प्रभाव

आर्थिक मोर्चा: गुणक प्रभाव

महिला सशक्तिकरण केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है। इस वृद्धि में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लगभग 68% ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं।

IMF का अनुमान है कि कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी से भारत का GDP लगभग **27%** तक बढ़ सकता है। जब कोई महिला कमाती है, तो वह अपनी आय का लगभग 90% परिवार के स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करती है—जिससे मानव पूंजी का एक सकारात्मक चक्र बनता है।

राजनीतिक सशक्तिकरण

राजनीतिक क्षेत्र में 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) एक ऐतिहासिक कदम है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। इससे महिलाएँ केवल मतदाता नहीं, बल्कि कानून-निर्माता बनकर कार्यस्थल सुरक्षा और मातृ स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अपने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ नीति-निर्माण कर सकेंगी।

पुरुषवादी मानसिकता को तोड़ना

2020 में सेक्रेटरी, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मील का पत्थर साबित हुआ। न्यायालय ने महिलाओं को स्थायी कमीशन और कमांड पदों से वंचित करने के लिए दिए गए "शारीरिक सीमाएँ" और "घरेलू दायित्व" जैसे तर्कों को खारिज कर दिया। सभी दस गैर-लड़ाकू धाराओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन और नेतृत्व की अनुमति देकर यह सुनिश्चित किया गया कि "नारी शक्ति" केवल गणतंत्र दिवस के नारों तक सीमित न रहे, बल्कि बैरकों में भी जीवंत वास्तविकता बने।

शेष चुनौतियाँ और आगे की राह

प्रगति के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं—लैंगिक हिंसा, वेतन असमानता, कम श्रम भागीदारी, तथा शिक्षा और स्वास्थ्य तक असमान पहुँच। पितृसत्तात्मक सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं के विकल्पों और अवसरों को सीमित करते हैं। तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण नए अवसर भी लाते हैं, परंतु डिजिटल कौशल और संसाधनों तक असमान पहुँच असमानताओं को बढ़ा सकती है।

वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम "महिला विकास" से आगे बढ़कर **"महिला-नेतृत्व वाले विकास"** को कैसे साकार करते हैं। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा से ही लैंगिक संवेदनशीलता, और "केयर इकॉनॉमी" को पेशेवर मान्यता और सम्मान देना अनिवार्य है।

इस मिशन का सार डॉ. भीमराव अंबेडकर के इन शब्दों में निहित है: "मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस आधार पर मापता हूँ कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।"

Q 3. आत्मनिर्भर भारत: स्वावलंबन की राह पर चुनौतियाँ और उपलब्धियाँ

1960 के दशक में भारत गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा था। लगातार सूखा, कम कृषि उत्पादकता और तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण देश के लिए अपने लोगों का पेट भरना भी कठिन हो गया था। अमेरिका की सहायता योजना PL-480 (फ़ूड फ़ॉर पीस) के तहत गेहूँ से लदे जहाज़ भारतीय बंदरगाहों पर आया करते थे। उस दौर के नीति-निर्माताओं से जुड़ी एक प्रसिद्ध उक्ति है कि भारत **"शिप टू माउथ"** (जहाज से मुख तक) की स्थिति में जी रहा था—अनाज ठीक समय पर पहुँचता था ताकि अकाल टल सके।

युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के समय यह निर्भरता भारत की स्वायत्तता को कमजोर करती थी। अनाज की आपूर्ति की मात्रा, गति और समय-सीमा विदेशी राजनीतिक हितों से प्रभावित हो सकती थी, जिससे भारत की निर्णय-स्वतंत्रता सीमित हो जाती थी। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा केवल आर्थिक विषय न रहकर **राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न** बन गई।

इस संवेदनशीलता को पहचानते हुए भारतीय नीति-निर्माताओं ने आत्मनिर्भरता की ओर निर्णायक कदम बढ़ाया। वैज्ञानिक नवाचार, राज्य समर्थन और किसानों की सक्रिय भागीदारी से संचालित **हरित क्रांति** ने भारतीय कृषि का कायाकल्प कर दिया। यही भारत के **आत्मनिर्भर बनने का पहला बड़ा प्रयास** था।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: आत्मनिर्भरता का विकास

आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन की अवधारणा कोई आधुनिक राजनीतिक गढ़ंत नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत चेतना की धड़कन रही है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में आर्थिक संप्रभुता को राज्य की नींव बताया गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने चरखे को केवल वस्त्र निर्माण का साधन नहीं, बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बनाया।

आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियाँ और मील के पत्थर

अतीत की अंतर्मुखी नीतियों के विपरीत, वर्तमान 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पाँच स्तंभों पर आधारित है: **अर्थव्यवस्था** (बड़ी छलांग), **बुनियादी ढाँचा** (आधुनिक पहचान), **प्रणाली** (प्रौद्योगिकी-संचालित), **जीवंत जनसांख्यिकी** और **मांग**।

नीतिगत पहल और संरचनात्मक सुधार

इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं** ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया और निवेश आकर्षित किया। श्रम कानूनों, कॉर्पोरेट कराधान, GST और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधारों का उद्देश्य आत्मनिर्भर विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना रहा है।

भारत आज अमेरिका और चीन के बाद **दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम** बन चुका है। यह केवल "यूनिकॉर्न" (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप) की बात नहीं है, बल्कि भारतीय मानसिकता में आए मूलभूत परिवर्तन का संकेत है।

रक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता

कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा भारत अब वैश्विक निर्यातक के रूप में उभर रहा है। 2023–24 में घरेलू रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा। स्वदेशी विमानवाहक **पोत INS विक्रांत** का कमीशनिंग और MIRV तकनीक के साथ **अग्नि-V** मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की बढ़ती रणनीतिक स्वायत्तता के सशक्त प्रमाण हैं।

अंतरिक्ष संप्रभुता

कम लागत नवाचार के प्रतिमान में भारत ने अद्वितीय दक्षता प्राप्त की है। मंगलयान मिशन और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने यह सिद्ध किया कि नेविगेशन सेंसर से लेकर लैंडिंग सॉफ़्टवेयर तक—भारत की स्वदेशी तकनीक विश्वस्तरीय है। कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिकी GPS तक सीमित पहुँच के अनुभव के बाद भारत ने अपना **क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन तंत्र** विकसित किया—जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभु डेटा नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

इंडिया स्टैक (आधार, UPI, ONDC) ने सार्वजनिक वस्तु के रूप में कार्य करते हुए स्टार्टअप्स को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत कम लागत पर विस्तार करने में सक्षम बनाया। इस अवसंरचना ने लेन-देन लागत घटाई, शासन में सुधार किया और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया—डिजिटल युग में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ किया।

"विश्व की फार्मेसी 2.0"

केवल जेनरिक दवाओं के निर्माता से आगे बढ़ते हुए, **PLI योजना** के माध्यम से API और मेडिकल डिवाइसेज़ के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। कोविड-19 महामारी आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए वास्तविक स्ट्रेस टेस्ट साबित हुई।

भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सिन पूरी तरह स्वदेशी टीका था, जबकि **सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया** ने कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत ने 90 से अधिक देशों को टीके उपलब्ध कराए।

आत्मनिर्भरता की राह की चुनौतियाँ

आर्थिक और औद्योगिक बाधाएँ: विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ापन; सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण इनपुट्स पर आयात निर्भरता।

अवसंरचनात्मक और तकनीकी अंतराल: अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स, उच्च लेन-देन लागत और असमान डिजिटल अवसंरचना। उन्नत R&D पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता।

सामाजिक और कौशल संबंधी बाधाएँ: आत्मनिर्भरता केवल पूंजी और नीति से नहीं, बल्कि मानव क्षमताओं से भी निर्धारित होती है। कौशल-असंगति, श्रम बाजार की अनौपचारिकता और शिक्षा तक असमान पहुँच उत्पादकता को सीमित करती है। जैसा कि अमर्त्य सेन ने कहा, विकास का उद्देश्य मानव क्षमताओं का विस्तार होना चाहिए—इसके बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता टिकाऊ नहीं हो सकती।

आत्मनिर्भर भारत केवल एक नीति नहीं, बल्कि **लचीलापन और आत्मविश्वास का दृष्टिकोण** है। यही वह सेतु है जो भारत को एक विकासशील देश से **2047 तक विकसित भारत (विकसित भारत @2047)** की ओर ले जाएगा। रवींद्रनाथ ठाकुर के "निर्भय मन" वाले राष्ट्र-स्वप्न की तरह, आत्मनिर्भरता का अंतिम उद्देश्य आर्थिक, तकनीकी और नैतिक आत्मविश्वास का निर्माण है। आत्मनिर्भर भारत का भविष्य गहरे सुधारों, मानव पूंजी में निवेश, सतत नवाचार और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत रहते हुए आगे बढ़ने में निहित है।

खंड-ब

Q 1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता: भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ

"AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, लेकिन जो इंसान AI का उपयोग करेंगे, वे उन लोगों की जगह ले लेंगे जो इसका उपयोग नहीं करते।"

— सैम ऑल्टमैन

सैम ऑल्टमैन के ये शब्द केवल व्यक्तियों पर ही नहीं, बल्कि **राष्ट्रों** पर भी समान रूप से लागू होते हैं। जो देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाएंगे, वे भविष्य की दौड़ में आगे निकलेंगे। भारत की AI यात्रा **"AI for All"** के मंत्र से परिभाषित होती है—एक ऐसी दृष्टि जो तकनीकी दिखावे से आगे बढ़कर **सामाजिक समावेशन और जमीनी प्रभाव** को प्राथमिकता देती है।

परिभाषात्मक रूप से, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** मशीनों की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वे ऐसे कार्य कर सकती हैं जिनके लिए सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। यह प्रणालियों को अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और जटिल समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाती है। AI बड़े डेटा सेट्स, एल्गोरिदम और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का उपयोग कर सूचना का विश्लेषण, पैटर्न की पहचान और उत्तरों का निर्माण करती है। समय के साथ ये प्रणालियाँ बेहतर होती जाती हैं, जिससे वे तर्क करने, निर्णय लेने और मानव-सदृश संवाद करने में सक्षम हो जाती हैं।

भारतीय अवसर: समावेशी विकास का उत्प्रेरक

AI युग में भारत की सबसे बड़ी शक्ति है—**विशाल डेटा आधार** और **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** का अद्वितीय संयोजन। आधार और UPI जैसे मंचों पर AI की परत चढ़ाकर भारत एक **"स्मार्ट भारत"** की दिशा में अग्रसर है।

आर्थिक वृद्धि, उत्पादकता और नए उद्योग

AI विनिर्माण, सेवाओं और कृषि—तीनों क्षेत्रों में **उत्पादकता गुणक** की भूमिका निभा सकता है। स्वचालित निर्णय-सहायता प्रणालियाँ, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और प्रक्रिया अनुकूलन प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ाते हैं। AI-संचालित प्लेटफ़ॉर्म नए व्यापार मॉडल और डेटा साइंस, इंजीनियरिंग तथा AI उत्पाद विकास जैसे उच्च-मूल्य रोजगार सृजित करते हैं।

IndiaAI मिशन, MeitY और NITI Aayog के संस्थागत प्रयास कंप्यूटिंग अवसंरचना निर्माण, स्टार्टअप समर्थन और कौशल विकास पर केंद्रित हैं। एक्सेंचर की हालिया AI रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2035 तक AI भारत की वार्षिक विकास दर में लगभग **1.3 प्रतिशत अंक** की वृद्धि कर सकता है।

कृषि: सटीकता की क्रांति

यद्यपि भारत अब केवल कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है, फिर भी कृषि एवं सहायक क्षेत्र आज भी **लगभग 49% कार्यबल** को रोजगार देता है और **GDP में 16%** का योगदान करता है।

AI-संचालित मानसून पूर्वानुमान मॉडल अब लगभग **3.8 करोड़ किसानों** को अत्यंत स्थानीय स्तर पर चेतावनी प्रदान कर रहे हैं, जिससे जलवायु जोखिम कम होते हैं। बुवाई सलाह, कीट नियंत्रण, इनपुट प्रबंधन और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से खेत-स्तर पर मिट्टी की नमी और फसल स्वास्थ्य की निगरानी—ये सभी किसानों की आय और स्थिरता बढ़ाने में सहायक हैं।

स्वास्थ्य सेवा: "अंतिम लक्ष्य" तक पहुँच

AI ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का **लोकतंत्रीकरण** कर रहा है, जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। AI-संचालित इमेज एनालिसिस सिस्टम एक्स-रे, CT स्कैन और रेटिना इमेज का तेज़ और सटीक विश्लेषण करते हैं। रेडियोलॉजी टूल्स डॉक्टरों का कार्यभार घटाते हुए निदान त्रुटियों को कम करते हैं।

व्यक्तिगत चिकित्सा में AI रोगी के इतिहास, आनुवंशिकी और जीवनशैली के आधार पर उपचार सुझाता है। कैंसर स्क्रीनिंग और उपचार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ AI बड़े पैमाने पर लक्षित हस्तक्षेप संभव बनाता है। भारत में हर वर्ष **10 लाख से अधिक नए कैंसर मामले** सामने आते हैं—AI यहाँ निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

शिक्षा: सीखने की नई परिभाषा

भारत की विशाल युवा आबादी के कारण शिक्षा क्षेत्र में AI की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। **अनुकूली शिक्षण** उपकरण विद्यार्थियों की सीखने की गति और स्तर के अनुसार सामग्री प्रदान करते हैं।

AI शिक्षक का स्थान नहीं लेता, लेकिन बहु-स्तरीय कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीखने की अवस्था समझकर शिक्षकों की सहायता करता है। **इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम** व्यक्तिगत शैली और गति के अनुसार शिक्षण सामग्री प्रदान करते हैं। NITI Aayog के एक हालिया हैकाथॉन में ReadEx जैसे एप्लिकेशन सामने आए, जो NLP के माध्यम से रियल-टाइम प्रश्न निर्माण और पाठ्य सामग्री सिफारिश करते हैं।

स्मार्ट शहर और अवसंरचना

भारत वर्तमान में **तेज़ शहरीकरण** के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2011 में देश की लगभग **31% आबादी** शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी, और यह अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। इस संदर्भ में **स्मार्ट पार्कों और सार्वजनिक सुविधाओं** के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है।

AI का उपयोग नागरिकों की उपस्थिति और उपयोग के पैटर्न की निगरानी के लिए किया जा रहा है, जिसके आधार पर **पैदल पथों की लाइटिंग, पार्कों के रखरखाव तथा अन्य सहायक प्रणालियों** को स्वचालित और कुशल ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षों में **भीड़ प्रबंधन** के क्षेत्र में AI आधारित समाधानों का व्यापक प्रयोग हुआ है, जिसने **भारी जनसमूह वाले आयोजनों**, आपात स्थितियों तथा आपदाओं के दौरान **शहर-स्तरीय चुनौतियों** से निपटने में प्रभावी और सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इससे शहरी शासन को अधिक सुरक्षित, उत्तरदायी और दक्ष बनाने में सहायता मिली है।

चुनौतियाँ

अवसंरचना और संसाधन सीमाएँ

बड़े पैमाने पर AI के लिए GPU, डेटा सेंटर, गुणवत्तापूर्ण लेबल्ड डेटा और स्थिर बिजली व इंटरनेट की आवश्यकता होती है। टियर-2/3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना की खाई पाटना अत्यंत आवश्यक है।

डेटा संप्रभुता और गोपनीयता

भारतीय डेटा के बड़े पैमाने पर उपयोग के बीच **निजता संरक्षण** और बिग टेक द्वारा दुरुपयोग से सुरक्षा एक अपरिहार्य चुनौती है।

रोजगार व्यवधान और कौशल असंगति

AI नए रोजगार उत्पन्न करता है, लेकिन कॉल सेंटर, क्लेरिकल कार्य और कम-कौशल विनिर्माण में स्वचालन से **विस्थापन** का जोखिम भी बढ़ता है।

सामाजिक पक्षपात और "सोशल सायकोफैंसी"

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में AI मॉडलों के "अत्यधिक सहमत" होने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई गई है, जो आलोचनात्मक सोच को कम कर सकती है और जाति व लिंग आधारित पक्षपात को बढ़ा सकती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोई जादुई छड़ी नहीं, बल्कि **मानवीय उद्देश्य को प्रतिबिंबित और प्रवर्धित करने वाला दर्पण** है। भारत के लिए लक्ष्य वैश्विक "AI हथियार दौड़" जीतना नहीं, बल्कि **कुपोषण से लेकर**

न्यायिक लंबित मामलों जैसी विशिष्ट भारतीय समस्याओं का समाधान करना है।

जैसा कि दावोस 2026 में विशेषज्ञों ने कहा, भारत एक ऐसे वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है जहाँ AI **जमीनी स्तर पर मापनीय और जीवन बदलने वाला प्रभाव** डाल रहा है। यदि नवाचार को **मानव-केंद्रित नियामक ढाँचे** के साथ संतुलित किया जाए, तो AI भारत में असमानता का स्रोत नहीं, बल्कि **सशक्तिकरण का माध्यम** बन सकता है।

Q 2. बेरोज़गारी और युवा वर्ग: भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का सदुपयोग कैसे किया जाए

"जनसांख्यिकीय लाभांश एक दोधारी तलवार है—यदि युवाओं को उत्पादक रूप से रोजगार मिले तो वे विकास को गति दे सकते हैं; लेकिन यदि उनकी उपेक्षा हुई तो यही लाभांश जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है।"

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत

वैश्विक अर्थशास्त्र के विमर्श में भारत को अक्सर एक "उज्ज्वल भविष्य" के रूप में देखा जाता है—एक ऐसा देश जिसे **जनसांख्यिकीय लाभांश** नामक अनोखा अवसर प्राप्त है। कार्यशील आयु वर्ग में 65% से अधिक आबादी और लगभग **28.4 वर्ष की औसत आयु** के साथ भारत के पास वह युवा ऊर्जा है, जिसकी कामना अधिकांश वृद्ध होती विकसित अर्थव्यवस्थाएँ करती हैं।

किन्तु इस अपार संभावना पर **युवा बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार** की गंभीर छाया भी है। युवा आबादी के साथ रोजगार के अवसरों की कमी का यह विरोधाभास नीति-निर्माताओं के सामने एक तात्कालिक प्रश्न खड़ा करता है—भारत अपने जनसांख्यिकीय वादे को **उत्पादक आर्थिक संपदा** में कैसे बदले, न कि **सामाजिक बोझ** में?

भारत में युवा बेरोज़गारी की वर्तमान स्थिति

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 के अनुसार, जहाँ समग्र बेरोज़गारी दर लगभग **4.7%–4.8%** पर स्थिर हुई है, वहीं **युवा बेरोज़गारी (15–29 वर्ष)** चिंताजनक रूप से **14%–15%** के आसपास बनी हुई है।

2026 के श्रम बाज़ार की एक चिंताजनक प्रवृत्ति यह है कि **शैक्षणिक योग्यता बढ़ने के साथ बेरोज़गारी भी बढ़ती है**। प्राथमिक शिक्षा तक सीमित लोगों की तुलना में स्नातक और परास्नातक युवाओं में बेरोज़गारी अधिक है।

भारतीय अख़बारों में बार-बार ऐसी खबरें सामने आई हैं, जहाँ **पीएचडी धारक और परास्नातक** उम्मीदवार राज्य सरकारों की बड़ी भर्तियों में **ग्रुप-डी/चतुर्थ श्रेणी** पदों—जैसे चपरासी, सहायक या सफ़ाईकर्मी—के लिए आवेदन करते पाए गए। कई मामलों में कम-कौशल पदों के लिए **लाखों आवेदन** आए, जिनमें हज़ारों उच्च-शिक्षित युवा शामिल थे। शिक्षा और रोजगार अवसरों के इस **गंभीर असंतुलन** ने भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को वास्तविक आर्थिक वृद्धि में बदलने की चुनौती को उजागर किया है।

जनसांख्यिकीय लाभांश: संभावना और जोखिम

जनसांख्यिकीय लाभांश का विचार इस धारणा पर आधारित है कि यदि कार्यशील आयु की आबादी को **उत्पादक रोजगार** मिले, तो आर्थिक वृद्धि तेज़ हो सकती है। **दक्षिण कोरिया और चीन** जैसे देशों ने शिक्षा, विनिर्माण और निर्यात में निवेश कर इस चरण का सफल उपयोग किया।

भारत के लिए यह अवसर **समय-सीमित** है—मध्य 2030 के दशक तक यह लाभांश चरम पर पहुँचकर स्थिर होने लगेगा। भारत की ताक़त केवल संख्या में नहीं, बल्कि उसकी **विविधता** में है—ग्रामीण युवा, महिलाएँ और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी विकास के अब तक अप्रयुक्त स्रोत हैं। परन्तु पर्याप्त कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार अवसरों के अभाव में यही लाभांश **निराशा, सामाजिक अशांति और मानव पूँजी के अपव्यय** में बदल सकता है।

संभावना को संपदा में बदलने की रणनीतियाँ

कौशल अंतर को पाटना: उद्योग-अकादमिक सेतु: युवा बेरोज़गारी से निपटने और जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी उपयोग करने के लिए उद्योग और शिक्षा के बीच मज़बूत तालमेल आवश्यक है। कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले विषयों और नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित कौशलों के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है।

नीति आयोग के CEO **बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम** के अनुसार, भारत में कौशल-विकास को अब भी सह-पाठ्यक्रम गतिविधि की तरह देखा जाता है, न कि मुख्यधारा की शिक्षा के हिस्से के रूप में। **स्किल इंडिया** और **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** जैसे कार्यक्रम उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर इस अंतर को पाटने का प्रयास कर रहे हैं।

रोज़गार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा: रोज़गार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण—निजी क्षेत्र का विस्तार, नौकरशाही बाधाओं में कमी, नवाचार और निवेश को प्रोत्साहन—अनिवार्य है। उच्च रोजगार क्षमता वाले **विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों** पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को नौकरी खोजने वालों से आगे बढ़कर **नौकरी देने वाले** बनने के लिए प्रेरित किया है, जिससे नवाचार और स्व-रोज़गार को बल मिला है।

गिग और ग्रीन इकोनॉमी का औपचारीकरण: केंद्रीय बजट 2026 ने अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) और नवीकरणीय ऊर्जा सहित सात प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0** के तहत उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण से इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार की उम्मीद है।

साथ ही, उभरती **ग्रीन इकोनॉमी** से ग्रामीण भारत में लाखों "सोलर-उद्यमी" पैदा होने की संभावना है, जिससे भीड़भाड़ वाले शहरों की ओर होने वाले विवश पलायन में कमी आ सकती है।

संरचनात्मक सुधार और शिक्षा की भूमिका: शिक्षा को रटंत प्रणाली से आगे बढ़कर **कौशल-आधारित और अनुभवात्मक** बनाना होगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप और उद्योग-अकादमिक सहयोग से रोजगार-योग्यता बढ़ेगी।

रोज़गार-सघन विनिर्माण पर आधारित विकास बड़ी संख्या में युवाओं को समाहित करने के लिए आवश्यक है।

इसके साथ ही, **भारत की ऑरेंज इकोनॉमी**—डिज़ाइन, एनीमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, शिल्प, मीडिया और सांस्कृतिक पर्यटन—अपनी उच्च रोजगार लोच के बावजूद अब भी पर्याप्त रूप से उपयोग में नहीं लाई गई है।

क्षेत्रीय असमानता और प्रवासन की चुनौती: क्षेत्रीय विषमताओं और प्रवासन की गतिशीलता से निपटना केवल जनसांख्यिकीय नहीं, बल्कि एक गहन **सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता** है। नीति-निर्माताओं

को उच्च पलायन वाले क्षेत्रों में निवेश, समग्र विकास, रोजगार सृजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जैसी दोहरी रणनीति अपनानी होगी।

जैसा कि **फ्रेडरिक डगलस** ने कहा था, "टूटे हुए पुरुषों की मरम्मत करने की तुलना में मजबूत बच्चों का निर्माण करना आसान है।"

आज भारत इस जनसांख्यिकीय चौराहे पर खड़ा है, जहाँ उसके युवाओं की सफलता तय करेगी कि क्या 21वीं सदी वास्तव में भारत की होगी। **मानव पूँजी** में उसी उत्साह से निवेश करके, जैसा भौतिक अवसंरचना में किया जाता है, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी युवा आबादी केवल चिंता का आँकड़ा नहीं, बल्कि **वैश्विक आर्थिक पुनर्जागरण का इंजन** बने।

Q 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारत की शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प

शिक्षा, चाहती है कि हम सजग बनें, ताकि राष्ट्र का निर्माण कर सकें।
शिक्षा, यह हमें दिशा दिखाती है, ताकि हम सुधार की ओर बढ़ सकें।
शिक्षा, इसे दस से अधिक लोगों का साथ चाहिए, ताकि सभी को सीखने का अवसर मिले।
शिक्षा, यही आपका वह मार्ग है, जिस पर आप अडिग रह सकते हैं।
शिक्षा, इसके अभाव में कुछ शेष नहीं रहेगा, यह आपके समस्त कष्टों का निवारण करेगी।
शिक्षा, इसके इतने व्यापक आयाम और क्षेत्र हैं, जिनका वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं।

– **हुस्ना चिकवेला**

हुस्ना चिकवेला की उपरोक्त कविता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि शिक्षा पूर्ण मानवीय क्षमता प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज विकसित करने तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत है। वर्तमान में भारतीय शिक्षा का परिदृश्य एक युगांतरकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो औपनिवेशिक काल की 'रटंत विद्या' की विरासत को त्यागकर जिज्ञासा और सक्षमता पर आधारित भविष्य की ओर अग्रसर है। इस कायाकल्प के केंद्र में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** है, जो 21वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है। इसे 1986 ई. की शिक्षा नीति के स्थान पर लाया गया जो भारत को एक **"वैश्विक ज्ञान महाशक्ति"** बनाने का दूरदर्शी खाका प्रस्तुत करती है। **पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही**—इन पाँच स्तंभों पर आधारित NEP 2020 केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक **सभ्यतागत घोषणा** है, जो भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित करते हुए वैश्विक मानकों को अपनाने का प्रयास करती है।

शिक्षाशास्त्र में वैचारिक परिवर्तन

NEP 2020 की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक स्कूली शिक्षा के संरचनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन है। पारंपरिक 10+2 प्रणाली को अब विकासात्मक रूप से अधिक उपयुक्त **5+3+3+4 ढांचे** से बदल दिया गया है। छात्रों को कला, विज्ञान और खेल को एक साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे 'शैक्षणिक' और 'पाठ्येतर' गतिविधियों के बीच की दशकों पुरानी खाइयाँ समाप्त हो गई हैं।

यह नया मॉडल स्वीकार करता है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास छह वर्ष की आयु से पहले हो जाता है, इसीलिए पहली बार **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)** को औपचारिक स्कूली शिक्षा के दायरे में लाया गया है। उच्च-जोखिम वाली बोर्ड परीक्षाओं के स्थान पर 'रचनात्मक मूल्यांकन मॉडल' का उद्देश्य उस "कोचिंग संस्कृति" को कम करना है जिसने लंबे समय से भारतीय परिवारों को त्रस्त कर रखा है। वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा की अनुमति देकर और मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करके, यह नीति **"क्या सोचें" के बजाय "कैसे सोचें"** को प्राथमिकता देती है।

स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त 'विशेष शिक्षकों' की तत्काल आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए विषय-विशेष शिक्षण और विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं से निपटने हेतु विशेषज्ञता अनिवार्य है। फिल्म तारे ज़मीन पर के 'ईशान अवस्थी' की कहानी NEP 2020 के दृष्टिकोण को सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करती है। डिस्लेक्सिया से जूझ रहे ईशान को एक ऐसी कठोर परीक्षा-केंद्रित प्रणाली द्वारा दंडित किया जाता है जो उसकी रचनात्मकता की उपेक्षा करती है। लेकिन जब एक संवेदनशील शिक्षक उसकी क्षमताओं को पहचानता है, तो वह निखरने लगता है। यह कथानक NEP 2020 के मूल वादे को दर्शाता है: एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो शिक्षार्थी को अंकों से परे महत्व देती है और उसकी व्यक्तिगत क्षमता को पोषित करती है।

बहुविषयक और समग्र शिक्षा

दशकों तक भारतीय छात्रों को 16 वर्ष की आयु तक आते-आते विज्ञान, वाणिज्य और कला की कठोर सीमाओं में बंधने के लिए मजबूर किया जाता था। NEP 2020 इन दीवारों को ढहा देती है। अब एक छात्र भौतिकी के साथ संगीत या रसायन विज्ञान के साथ इतिहास का अध्ययन कर सकता है। यह बहुविषयक दृष्टिकोण एक सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करता है, जो प्राचीन भारतीय परंपरा **'ललित कला'** को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ ज्ञान को एक एकीकृत इकाई के रूप में देखा जाता था। जैसा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, "उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य में लाती है।" यही भावना नीति के 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' पर दिए गए भारी जोर में भी झलकती है। कक्षा 6 से ही छात्रों को कोडिंग, बढ़ईगीरी और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे व्यावहारिक कौशल सिखाए जाएंगे, जिसमें स्थानीय विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप के लिए **"10 बैग-लेस डेज"** की अवधि भी शामिल है।

प्रौद्योगिकी: समानता का सूत्रधार

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रौद्योगिकी डिजिटल विभाजन को पाटने वाला सेतु है। NEP 2020 **नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (NETF)** और **'दीक्षा' (DIKSHA)** जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से हर स्तर पर प्रौद्योगिकी को एकीकृत करती है, जो कई क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक **रणजीतसिंह डिसले** का उदाहरण प्रेरणास्पद है, जिन्हें 'ग्लोबल टीचर प्राइज 2020' से सम्मानित किया गया। उन्होंने न केवल पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद छात्रों की मातृभाषा में किया, बल्कि उनमें विशिष्ट **QR कोड** भी अंकित किए ताकि छात्रों को ऑडियो कविताओं, वीडियो व्याख्यान और कहानियों तक सुलभ पहुँच प्राप्त हो सके।

शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक

NEP इस विचार को खारिज करती है कि सीखना डिग्री के साथ समाप्त हो जाता है। यह प्रत्येक शिक्षक और प्रधानाचार्य के लिए प्रति वर्ष 50

घंटे के **सतत व्यावसायिक विकास (CPD)** की अनिवार्य आवश्यकता का परिचय देती है। करियर में वृद्धि और पारदर्शिता लाने के लिए **राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST)** के निर्माण का प्रावधान किया गया है। ये मानक विभिन्न चरणों (जैसे- शुरुआती, कुशल, विशेषज्ञ और नेतृत्वकर्ता शिक्षक) के लिए भूमिकाएं और अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार, उच्च शिक्षा में **अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC)** और चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) की शुरुआत ने छात्रों को "मल्टीपल एंट्री और एग्जिट" (बहु-प्रवेश और निकास) के विकल्प प्रदान किए हैं।

यह नीति प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरणा लेती है, जहाँ **ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य** को सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना गया। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका नहीं, बल्कि जीवन की समग्र तैयारी था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 2047 तक **"विकसित भारत"** के लक्ष्य की दिशा में एक साहसिक कदम है—एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना, जो **भारतीय मूल्यों में रची-बसी हो, पर दृष्टि से वैश्विक हो।** हालाँकि बुनियादी ढाँचे और वित्तपोषण जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी इसकी दिशा स्पष्ट रूप से सकारात्मक है। यह नीति भारत को न केवल ज्ञान का उपभोक्ता, बल्कि **ज्ञान का सृजक और नेतृत्वकर्ता** बनाने की क्षमता रखती है।

खंड-स

Q 1. वैश्विक शासन के एक नए उपकरण के रूप में लघु-पक्षवाद : भारत के लिए निहितार्थ

"भारत की रणनीतिक स्वायत्तता चयनात्मक सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ होती है, कमजोर नहीं।"

– एस. जयशंकर

वैश्विक शासन का ढांचा एक शांत लेकिन निर्णायक परिवर्तन से गुजर रहा है। वे संस्थाएं जो कभी सामूहिक समस्या-समाधान का प्रतीक थीं—जैसे कि सार्वभौमिक सदस्यता वाले बड़े बहुपक्षीय मंच—अब समयबद्ध और प्रभावी परिणाम देने में संघर्ष कर रहे हैं। इस संदर्भ में, **'लघु-पक्षवाद'** एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में उभरा है। इसे विशिष्ट वैश्विक या क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए समान विचारधारा वाले या रणनीतिक रूप से संरेखित कुछ देशों के बीच सहयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक वैज्ञानिक माइल्स काहलर द्वारा प्रतिपादित यह अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि "अधिकतम संभव प्रभाव डालने के लिए आवश्यक देशों की न्यूनतम संख्या" समकालीन भू-राजनीति के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है।

वैश्विक शासन में लघु-पक्षवाद को समझना

लघु-पक्षवाद, 'एकपक्षवाद' (जहाँ राष्ट्र अपने हितों के लिए अकेले कार्य करते हैं) और 'बहुपक्षवाद' (जिसमें सार्वभौमिक सदस्यता वाली संस्थाएं शामिल हैं) के बीच एक मध्य मार्ग है। संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय निकायों के विपरीत, जो अक्सर सर्वसम्मति की कमी के कारण पंगु हो जाते हैं, लघु-पक्षीय मंच उद्देश्य-संचालित, लचीले और परिणाम-उन्मुख होते हैं।

विकासशील देशों के लिए उनकी संख्या उनकी सबसे बड़ी सौदेबाजी की शक्ति है; जबकि विकसित देश—जो संख्या में कम हैं—इसे "बहुमत की निरंकुशता" के रूप में देखते हैं, जिसने बड़े बहुपक्षीय संगठनों में आम सहमति को बाधित किया है। प्रचलित उत्तर-दक्षिण विभाजन, जहाँ विकासशील देश विशेष और विभेदित उपचार (S&DT) बनाए रखने के इच्छुक हैं, वहीं विकसित देश दोहा विकास एजेंडा से बाहर नए मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, व्यापार वार्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। इसके उदाहरणों में 'ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप' (TPP), 'ट्रांसअटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप' (TTIP) और हालिया 'आरसीईपी' (RCEP) शामिल हैं।

हालाँकि, लघु-पक्षवाद से 'फोरम-शॉपिंग' (सुविधाजनक मंच का चयन), महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कमजोर करने और जवाबदेही में कमी आने के खतरे भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, G20 की 'पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया' (MAP) की आलोचना इसे 'दंतविहीन' बताकर की गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रक्रिया ने वास्तव में देशों के नीतिगत विकल्पों को प्रभावित किया है या नहीं। इस संदर्भ में, लघु-पक्षीय समूहों के गुणात्मक और मात्रात्मक परिणामों को मापना कठिन कार्य है।

भारत के लिए निहितार्थ: अवसर और रणनीतिक स्वायत्तता

भारत के लिए लघु-पक्षवाद उसकी कई देशों के साथ एक साथ संबंध रखना (मल्टी-अलाइनमेंट) की नीति का एक सटीक साधन है। यह नई दिल्ली को बिना किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन के बोझ के, एक साथ अलग-अलग मेजों (मंचों) पर बैठने की अनुमति देता है।

- **चपलता और विषय-विशिष्ट फोकस:** छोटे समूहों में बोझिल नौकरशाही का अभाव होता है। यहाँ निर्णय "राजनय की गति" के बजाय "व्यवसाय की गति" से लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, **क्वाड** भारत को औपचारिक संधि की आवश्यकता के बिना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और अवैध मछली पकड़ने पर नेतृत्व करने की अनुमति देता है।
- **वीटो की बाधाओं को दरकिनार करना:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसी "बड़े मंचों" पर प्रगति अक्सर स्थायी सदस्यों के वीटो द्वारा रोक दी जाती है। लघु-पक्षीय समूहों में भारत अपने समकक्षों के बीच एजेंडा तय कर सकता है। I2U2 (भारत, इज़राइल, यूएई, अमेरिका) इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो जल, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में ठोस निवेश पर केंद्रित है।
- **रणनीतिक "फ्रेंड-शोरिंग":** iCET (महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर भारत-अमेरिका पहल) जैसी पहल भारत को सेमीकंडक्टर और जेट इंजन जैसी उच्च-स्तरीय तकनीक तक पहुंच प्रदान करती है, जिसे बड़े बहुपक्षीय निकाय सुगम नहीं बना सकते। साथ ही, **ब्रिक्स** (BRICS) में भारत की उपस्थिति 'ग्लोबल साउथ' का प्रतिनिधित्व करती है, जो इसकी विदेश नीति को 'शून्य-योग खेल' बनने से रोकती है।

रूसी तेल खरीदने के भारत के फैसले का बचाव करते हुए एस. जयशंकर ने स्पष्ट कहा था: "यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं।"

चुनौतियां और जोखिम

एक बड़ी चिंता **'रणनीतिक अति-विस्तार'** की है। कई लघु-पक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी के लिए राजनयिक क्षमता, सैन्य तत्परता और नीतिगत सुसंगतता की आवश्यकता होती है—और ये संसाधन अनंत

नहीं हैं। इसके अलावा, धारणा प्रबंधन का जोखिम भी है, विशेष रूप से चीन और रूस के संदर्भ में, जो कुछ लघु-पक्षीय जुड़ावों को 'घेराबंदी की रणनीति' के रूप में देख सकते हैं।

एक अन्य चुनौती **'मानक विखंडन'** में निहित है। जैसे-जैसे लघु-पक्षीय समूह प्रौद्योगिकी या व्यापार पर अपने मानक निर्धारित करते हैं, प्रतिस्पर्धी मानदंड उभर सकते हैं, जो समावेशी वैश्विक शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को जटिल बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लघु-पक्षवाद पर अत्यधिक निर्भरता उन बहुपक्षीय संस्थानों को कमजोर कर सकती है जिन्हें भारत ने पारंपरिक रूप से ग्लोबल साउथ के मंच के रूप में समर्थन दिया है।

अंततः, लघु-पक्षवाद की चयनात्मक प्रकृति नैतिक और राजनीतिक प्रश्न उठाती है। जैसा कि अमर्त्य सेन ने आगाह किया है, शासन संरचनाओं को दक्षता की वेदी पर समावेशिता की बलि नहीं देनी चाहिए। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि लघु-पक्षवाद बहिष्कार का उपकरण न बन जाए।

जैसा कि कवि टी.एस. इलियट ने लिखा है, "केवल वे जो बहुत दूर जाने का जोखिम उठाते हैं, संभवतः यह जान पाते हैं कि कोई कितनी दूर तक जा सकता है।" लघु-पक्षवाद के साथ भारत का जुड़ाव ऐसा ही एक नपा-तुला जोखिम है—जो यदि रणनीतिक स्पष्टता और समावेशी दृष्टि से निर्देशित हो, तो एक जटिल वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है।

Q 2. जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारत की प्रतिबद्धता और ठोस प्रयास

"आज पूरी दुनिया यह स्वीकार करती है कि भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को 'शब्द और भावना—दोनों' में पूरा किया है। हम दृढ़ संकल्प के साथ हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ठोस परिणाम दिखा रहे हैं।"

- **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, COP26**

भारत के सभ्यतागत इतिहास में मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर सदैव बल दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उक्ति **"प्रकृति रक्षति रक्षितः"**—अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है—भारतीय पर्यावरण चेतना का सार है। हालांकि, आधुनिक औद्योगीकरण और शहरीकरण ने इस संतुलन को प्रभावित किया है। आज भारत जलवायु संबंधी आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है, जबकि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इसका ऐतिहासिक योगदान तुलनात्मक रूप से अत्यंत कम रहा है। यह असमानता ही भारत की जलवायु कूटनीति और घरेलू नीति के केंद्र में है—जो एक ओर 'जलवायु न्याय' की मांग करती है और दूसरी ओर सतत विकास के मार्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

वैश्विक मंच: पेरिस से पंचामृत तक

भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु यात्रा साहसिक और मात्रात्मक लक्ष्यों की ओर बदलाव का प्रतीक है। पेरिस समझौते के तहत, भारत ने शुरुआत में तीन 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) की प्रतिबद्धता जताई थी। हालांकि, ग्लासगो में COP26 के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **"पंचामृत"** रणनीति का अनावरण कर लक्ष्यों को और अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया:

1. **2030 तक 500 गीगावॉट** गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।
2. **2030 तक 50%** ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना।
3. अब से **2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन** की कमी करना।
4. **2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45%** की कमी करना।
5. **2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन** का लक्ष्य प्राप्त करना।

भारत ने कई अभिनव बहुपक्षीय पहलों का भी नेतृत्व किया है:

- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु।
- **आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI):** यह पहचानते हुए कि केवल उत्सर्जन कम करना पर्याप्त नहीं है, भारत ने 2019 में 'अनुकूलन' पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसकी शुरुआत की।
- **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA):** भारत की G20 अध्यक्षता (2023) के दौरान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जैव ईंधन के क्षेत्र में वही क्रांति लाना है जो ISA ने सौर ऊर्जा में लाई।

राष्ट्रीय प्रयास: क्रियान्वयन के स्तर पर नीतियाँ

भारत के वैश्विक वादों को एक मजबूत घरेलू ढांचे का समर्थन प्राप्त है। **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** कई मिशनों के लिए एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करती है:

- **सौर और पवन क्रांति:** भारत वर्तमान में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर **चौथे स्थान** पर है। जनवरी 2026 तक, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता **135 GW** से अधिक हो चुकी है, जिसे 'राष्ट्रीय सौर मिशन' और 'पीएम-सूर्य घर योजना' जैसी पहलों से गति मिली है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु महत्वाकांक्षा:** स्टील और सीमेंट जैसे कठिन क्षेत्रों के समाधान के लिए 'राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' प्रमुख बंदरगाहों पर उत्पादन केंद्र बना रहा है। साथ ही, 'राष्ट्रीय परमाणु मिशन' ने वर्ष 2047 तक **100 GW** का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा है।
- **गतिशीलता और जीवनशैली (मिशन LiFE):** FAME-II योजना ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जबकि **मिशन LiFE** जलवायु कार्रवाई को एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास करता है। 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (EPR) जैसे नियमों के माध्यम से भारत समाज को "उपभोग" से "संरक्षण" की ओर ले जा रहा है।

चुनौतियाँ: नेट जीरो की कठिन राह

इन सफलताओं के बावजूद, भारत एक 'त्रिआयामी संकट' का सामना कर रहा है: **ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा समानता और पर्यावरणीय स्थिरता** के बीच संतुलन बनाना।

1. **कोयले की दुविधा:** वास्तविक बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी अभी भी लगभग 75% है। स्थापित क्षमता में इसका हिस्सा 50% से नीचे आ चुका है, पर किफायती बैटरी भंडारण की कमी के कारण कोयला अभी भी ग्रिड की रीढ़ बना हुआ है।
2. **जलवायु वित्त:** आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एक बड़े वित्त पोषण अंतर को उजागर करता है। भारत को वर्ष 2030 तक प्रभावी शमन

और अनुकूलन के लिए अनुमानित **$2.5 ट्रिलियन** की आवश्यकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त अभी भी दुर्लभ है।

3. **संवेदनशीलता:** केवल वर्ष 2025 में विनाशकारी बाढ़ और चक्रवातों के कारण $12 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो यह दर्शाता है कि भारत के लिए 'अनुकूलन' उतना ही अनिवार्य है जितना कि 'शमन'।

जैसा कि महात्मा गांधी ने चेतावनी दी थी, "पृथ्वी हर मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन उसके लालच को नहीं।" यह नैतिक ढांचा जलवायु परिवर्तन पर भारत के दृष्टिकोण को निर्देशित करता है। भारत की यात्रा स्थानीय कार्रवाई और वैश्विक परिणामों के बीच के अंतर्संबंध को दर्शाती है। आगे की राह चुनौतीपूर्ण है, पर निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग के साथ भारत एक ऐसा जलवायु पथ गढ़ सकता है जो **जिम्मेदार, लचीला और समावेशी** हो—और वैश्विक जलवायु संघर्ष में सार्थक योगदान देते हुए अपने विकासात्मक भविष्य को सुरक्षित कर सके।

Q 3. प्रधानमंत्री आवास योजना और भारत में गरिमामय जीवन का अधिकार

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के मानवीय प्रभाव की एक झलक नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा के दौरान देखने को मिली, जहाँ उन्होंने इस योजना की लाभार्थी 'मीरा' से संवाद किया। मीरा, जिसने वर्षों एक कच्चे और जर्जर झोपड़े में बिताए थे, ने बताया कि कैसे एक पक्के घर ने न केवल उसकी रहने की स्थिति को बदला, बल्कि उसके आत्म-सम्मान को भी नई ऊँचाई दी। भावुक होते हुए उसने साझा किया कि एक सुरक्षित घर का अर्थ उसके बच्चों के लिए सुरक्षा, सामाजिक मेलजोल में गरिमा और विस्थापन की निरंतर चिंता से मुक्ति है। प्रधानमंत्री और मीरा के बीच का यह संवाद केवल प्रतीकात्मक नहीं था—यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आवास कैसे सशक्तिकरण के उत्प्रेरक के रूप में विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए कार्य करता है।

गरिमा की परिभाषा: चार दीवारों से परे

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत 'गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार' को सर्वोच्च न्यायालय ने **'फ्रांसिस कोराली मुलिन'** के ऐतिहासिक मामले में केवल 'पशुवत अस्तित्व' से ऊपर माना है। इसमें भोजन, वस्त्र और अनिवार्य रूप से **'आश्रय'** का अधिकार शामिल है। वर्ष 2015 में "सभी के लिए आवास" के विजन के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया एक 'अधिकार-उन्मुख हस्तक्षेप' है। PMAY दो विशिष्ट शाखाओं में विभाजित है: PMAY-ग्रामीण और PMAY-शहरी। वर्ष 2026 तक, यह योजना अपने दूसरे चरण (PMAY 2.0) में प्रवेश कर चुकी है, जो स्थिरता और समावेशिता पर केंद्रित है।

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को प्राथमिकता देती है, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष जोर दिया गया है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक **महिलाओं को घर के मालिक या सह-मालिक के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल करना** है। यह कदम परिवारों के भीतर लैंगिक संबंधों और आर्थिक सुरक्षा को मौन लेकिन शक्तिशाली तरीके से पुनर्गठित करता है।

PMAY- ग्रामीण (PMAY-G) के मुख्य उद्देश्य

वित्तीय सहायता: सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में **₹1.20 लाख** और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में **₹1.30 लाख** की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि सबसे गरीब ग्रामीण परिवार भी एक टिकाऊ पक्का घर बना सकें।

अन्य योजनाओं के साथ समन्वय: PMAY-G को स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय), उज्ज्वला योजना (LPG कनेक्शन) और बिजली व पेयजल जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़कर लागू किया जाता है। इससे लाभार्थी को केवल एक घर नहीं, बल्कि आवश्यक सेवाओं का एक पूरा पैकेज मिलता है।

गुणवत्ता और पारदर्शिता: निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए 'जियो-टैगिंग' और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है ताकि धन के दुरुपयोग को रोका जा सके और वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी की जा सके।

प्रभाव: परिवर्तन की जीवंत कहानियाँ

जैसा कि कहा गया है, "एक मकान ईंटों और बीम से बनता है, लेकिन एक घर आशाओं और सपनों से बनता है।"

1. **महिलाओं का सशक्तिकरण:** उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों महिलाएँ पहली बार संपत्ति की मालिक बनी हैं। शोध बताते हैं कि जब घर महिला के नाम पर होता है, तो घरेलू हिंसा की दरों में कमी आती है और बच्चों की शिक्षा पर निवेश बढ़ता है।
2. **शहरी पुनर्वास:** सूरत जैसे शहरों में **'इन-सिटू स्लम पुनर्विकास'** (ISSR) मॉडल ने झुग्गीवासियों को उसी भूमि पर पक्के अपार्टमेंट में रहने की अनुमति दी है जहाँ वे दशकों से रह रहे थे। यह "आजीविका के विस्थापन" को रोकता है, जो पुरानी योजनाओं की एक बड़ी विफलता थी।

चुनौतियाँ और आगे की राह

अपनी उपलब्धियों के बावजूद, PMAY को शहरी भूमि की कमी, निर्माण लागत में वृद्धि और परियोजनाओं में देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने इस ओर ध्यान दिलाया कि बुनियादी सुविधाओं (पानी या बिजली) के अभाव के कारण लगभग **5.6 लाख शहरी घर खाली** पड़े हैं। यह बेहतर शहरी नियोजन और रोजगार योजनाओं के साथ बेहतर तालमेल की आवश्यकता को दर्शाता है।

वस्तुतः **प्रधानमंत्री आवास योजना** कल्याण से आगे बढ़कर **गरिमा के साथ कल्याण** की दिशा में एक निर्णायक कदम है। आवास को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग मानकर यह योजना सार्वजनिक नीति को संवैधानिक नैतिकता से जोड़ती है। महात्मा गांधी के शब्दों में— **"किसी समाज की सच्ची कसौटी यह है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"** PMAY अपने श्रेष्ठ रूप में इसी भावना को साकार करती है, जब वह सबसे गरीब भारतीय को विकास की प्रक्रिया के केंद्र में रखती है।

तेजी से शहरीकरण कर रहे भारत के भविष्य की ओर देखते हुए, **"आश्रय" से "गरिमापूर्ण जीवन"** की यह यात्रा हमारे विकास की सबसे बड़ी कसौटी बनी रहेगी। जब कोई नागरिक अपने PMAY घर में प्रवेश करता है, तो वह केवल एक नए पते में नहीं जाता—वह अपने जीवन के एक अधिक सुरक्षित, सम्मानित और गरिमामय अध्याय में प्रवेश करता है।